सर्वोच्च प्राथमिकता।

परिपत्र संख्या–न्याय–2–वापसी/2017–18/ 535 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(वाद अनुभाग)
लखनऊ दिनांकः 21 अगस्त 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0)/(कार्पो0)/डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)/
असिस्टेंट कमिश्नर (क0नि0)/वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0)
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः रिफण्ड दिये जाने से पूर्व दावों का पूर्ण सत्यापन/परीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) से सम्बन्धित रिफण्ड योग्य धनराशि का रिफण्ड किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय से निम्नलिखित परिपत्र निर्गत किये गये हैं:–

1. कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–1213012 दिनांक 22.05.2012
2. कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–1213021 दिनांक 07.06.2012
3. कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–1213043 दिनांक 26.07.2012
4. कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–1415043 दिनांक 08.07.2014
5. कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–1516019 दिनांक 28.05.2015
6. कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–1516076 दिनांक 15.03.2016
7. कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–1617035 दिनांक 26.09.2016

उपरोक्त परिपत्र विभागीय वेबसाइट पर सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध हैं। इन परिपत्रों में वैट व्यवस्था के क्रम में मुख्य रूप से यह भी निर्देश दिये गये हैं कि रिफण्ड दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रश्नगत टैक्स के जमा का सत्यापन किया जाना अपरिहार्य है और सत्यापन के उपरान्त ही रिफण्ड की कार्यवाही की जाये। सूचनाओं के सत्यापन में अधिकारियों द्वारा कदापि विलम्ब न किया जाये।

रिफण्ड कार्यो के सम्बन्ध में सघन अनुश्रवण का दायित्व सम्भाग स्तर पर ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) तथा जोनल स्तर पर एडीशनल कमिश्नर का होने और उनके द्वारा इसकी गहन समीक्षा करने के भी निर्देश पूर्व से विद्यमान हैं। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि बिना सत्यापन/समुचित परीक्षण के रिफण्ड जारी किये जाने के फलस्वरूप हुई राजस्व क्षति के लिए कर निर्धारण अधिकारी के साथ–साथ सम्बन्धित पर्यवेक्षक अधिकारी का भी दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों को प्रत्येक मासिक समीक्षा बैठक एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग में भी बार–बार स्मरण कराया जाता रहा है परन्तु माह जुलाई 2017 में कानपुर में किये गये ₹ 22.11 करोड़ के रिफण्ड में बड़ी धनराशि के रिफण्डों से सम्बन्धित पत्रावलियों के प्रारम्भिक परीक्षण में यह संज्ञान में आया है कि कतिपय ऐसे रिफण्ड किये गये हैं जिनमें खरीद से सम्बन्धित फर्म अस्तित्वहीन है। सत्यापन की सूचना गलत खण्डाधिकारी को भेजी गई हैं। निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में निर्यात के स्थानों में भिन्नता है।